

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (रांज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 116 /2022

उनवान

- 1.गोपाल पिता लादू जाट निवासी मिण्डोलिया
- 2.बाल पिता लादू जाट निवासी मिण्डोलिया
- 3.महादेव पिता लादू जाट निवासी मिण्डोलिया
- 4.राधाकिशन पिता लादू जाट निवासी मिण्डोलिया

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1.रामा पिता गोदू चमार निवासी नाराणा तहसील जहाजपुर
- 2.महादेव पिता लादू जाट निवासी मिण्डोलिया
- 3.रामस्वरूप पिता गंगाराम चमार निवासी मिण्डोलिया
- 4.हीरालाल पिता दयाराम चमार निवासी मिण्डोलिया
- 5.मांगीदेवी पत्नि नारायण जाट निवासी मिण्डोलिया
- 6.भैरू पिता बालु कुम्हार निवासी मिण्डोलिया
- 7.नारायण पिता लक्ष्मण गाडरी निवासी मिण्डोलिया
- 8.खाना पिता उगमा चमार निवासी मिण्डोलिया

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अविनाश जीनगर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 20 /06 /2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - ग्राम मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 40 रकबा 0.09 है 41 रकबा 0.03 है 42 रकबा 0.90 है 704 रकबा 0.40 है कुल किता 4 रकबा 1.42 है कटेयर के खातेदार प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या , 2 लगायत 8 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं 0 1 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम मिण्डोलिया संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगणोप्रार्थीगण के खातेदारी संयुक्त खातेदारीमें दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मिण्डोलिया में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 4 रकबा 1.42 है कटेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 600 रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20 /06 /2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान्, की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा